प्रकरण संख्या 216/2024 अनवानी मामराज बनाम अमीलाल

| तारीख हुक्म | कार्यवाह मय इनीशियल जज | नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 10/2/2025 | प्रार्थी महावीर पुत्र मंगलचन्द ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 व 151 सीपीसी पेश किया गया<br>प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अनवानी दावा न्यायलय हाजा में दिनांक 07.02.2024 को आदेश पारित किया की सहवन से पत्रावली रिकार्ड रूम में जमा हो गई इसलिये पत्रावली तलब कर तहसीलदार को पालना हेतु लिखा जावे जिसके आधार पर तहसीलदार को पालना रिपोर्ट हेतु लिखा गया जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है क्योकि अनवानी वाद दिनांक 06.07.2005 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया 19 वर्षो वाद बिना किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये रेस्टोर किया जाना उचित नही है प्रकरण में वर्णित भूमि 19 वर्ष पूर्व से आज तक पक्षकारों मे काफी परिर्वतन हो चुका है जिसके कारण विवाद की स्थिति पैदा हो गई है<br>प्रकरण 19 वर्षो में इस वाद में अपर न्यायालय में क्या क्या कार्यवाही हुई है यिद न्यायालय द्वारा रेस्टोर करने से पूर्व नोटिस जारी किये जाते तो सोर तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष आ सकते थे क्योकि उक्त वाद का निर्णय दिनांक 06.08.196 को होने के पश्चात इसकी अपील अपीलान्ट अध्किारी के यहॉ प्रस्तुत हुई राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में हुई राजस्व मण्डल के निर्णय की रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में 5531/2008 को प्रस्तुत हुई जो आजी विचाराधीन है जिसमें महेन्द्र भी फरीक है तथा अधिवक्ता भी नियुक्त कर रखा है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका को छुपा कर आदेश पारित करवाया गया है इसलिये आदेश दिनांक 07.02. 2024 को रिब्य किया जाकर अपास्त किया जाना आवश्यक है।<br>हमने वकील प्रार्थी को सुना पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी महेन्द्रसिह जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया की निवेदन किया की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से निर्णय उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर रिकार्ड रूम में जमा करवा दी गई जिसे तलब कर निर्णय दिनांक 06.08.1986 जो आज दिनाक तक बहाल की पालना में तहसीलदार को आदेश जारी किया जावे जिस पर एक पक्षीय आदेश जारी किया गया था<br>प्रार्थी महेन्द्र ने अपने यह अवगत नही करवाया की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका पेश की जा चुकी है जो आज भी विचाराधीन है तथा उक्त रिट याचिका में महेन्द्र जरिये अधिवक्ता उपस्थित भी है अर्थात महेन्द्र को भली प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन होने का ज्ञान था फिर भी न्यायालय को अवगत करवाये बिना आदेश पारित करवाया गया था जो न्यायोचित नही है<br>महेन्द्र को प्रार्थना पत्र रेस्टोर करने के उपरान्त आदेश दिये गये थे कि प्रतिवादी/अप्रार्थीगण की तल[illegible] रजिस्टर नोटिस /सम्मन पेश किये जावे किन्तु [illegible] के उपरान्त भी रजिस्टर नोटिस [illegible] पेश नही किये गये जिससे ..भी साबित है कि प्रार्थी आदेश दिनांक 07.02.2024 को [illegible] में अप्रार्थीगण को ज्ञान नही होने देना चाहता था तथ्यों को छुपाकर आदेश दिनांक 07.02.2024 की पालना करवाना चाहता था जो विधि | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:21:40 IST
Reason: SelfAttested.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्मत नही है

प्रार्थी महेन्द्र के रेस्टोर प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था बिना सुनवाई पारित किया गये आदेश को अपास्त किया जाना भी न्यायोचित है।

तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार भी पक्षकार फोत हो चुके है एवं प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होना एव स्थगन आदेश होना अंकित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी महेन्द्र से रेस्टोर प्रार्थना पत्र तथ्यो को छुपाकर पेश किया गया था अर्थात प्रार्थी महेन्द्र क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नही आया वाद भूमि के सम्बध में रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अन्तिम निर्णय होने तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नही है अतः कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.02.2024 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 07.02.2024 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही ना करे यदि किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है उसे निरस्त किया जाावे प्रकरण में आगामी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होने तक स्थगित रखी जाती है

निर्णय आज दिनांक 10/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:21:40 IST
Reason: SelfAttested